Ascension

Genesys Hospital, Ascension St. Mary's Hospital, Ascension Medical Group – Genesys के कवर ककए गए प्रदाता औरAscension Medical Group - St. Mary's के कवर ककए गए प्रदाता

ववत्तीय सहायता नीतत

जून 2022

नीतत/ससद्ाांत

इस पैराग्राफ के नीचे सूचीबद्ध संगठनों (जजनमें से प्रत्येक "संगठन" है) की नीति है कक वे संगठन के पररसरों में आपातकालीन और चचककत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल प्रदान करने हेतु सामाजजक रूप से न्यायोचचत कायप्रणाली सुतनजश्चत करेंगे। इस नीति को खासौर पर ऐसे मरीज़ों की ववत्तीय सहायता की पात्रता को संबोचधत करने के ललए बनाया गया है जजन्हें ववत्तीय सहायता की आवश्यकिा हो और जजन्हें संगठन से देखभाल प्राप्त होती हो। यह नीति Ascension Mid-Michigan माके ट के भीतर आने वाले तनम्नललखखत प्रत्येक संगठन पर लागू होती है:

Ascension Genesys Hospital	Ascension Medical Group – Genesys
Ascension Medical Group – Genesys - PMI	Ascension Genesys Ambulatory Imaging (Ascension Genesys एम्बुलेटरी इमेजजंग)
Ascension Genesys Ambulatory Therapy (Ascension Genesys एम्बुलेटरी थेरेपी)	
Ascension St. Mary's Hospital	Ascension Medical Group – St. Mary's

1. सारी ववत्तीय सहायता व्यजतगत मानव गररमा और सबकी भलाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और आदर, गरीबी में रहने वाले लोगों और अन्य कमज़ोर व्यजतयों के ललए हमारी ववशेष ता और चचतएकजुटता , और वविरणात्मक न्याय और नेतृत्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दशायएगी।

2. यह नीति संगठन द्वारा प्रदत्त सभी आपातकालीन और चचककत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल पर लागू होती है, जजसमें प्रयुत चचककत्सीय सेवाएं और व्यवहारात्मक स्वास्थ्य शालमल है। यह नीति गैर आपातकालीन और चचककत्सीय रूप से गैर आवश्यक अन्य देखभाल के शुल्कों पर लागू नहीं होती।

3. ववत्तीय सहायता नीति द्वारा शालमल ककए गए प्रदाता की सूची संगठन की सुववधाओं के भीतर देखभाल प्रदाताओं की एक सूची प्रदान करिी है जो कक तनर्दयष्ट करिी है कक ककन चीज़ों को ववत्तीय सहायता नीति के द्वारा कवर ककया जाता है और ककन्हें नहीं।

परिभाषाएं

इस नीति के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती हैं:

- “**501(r)**” का अर्थ आंतरिक आय कोड की धारा (Internal Revenue Code) 501(r) और उसके अधीन प्रकाशित किए गए नियम।
- आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल के संबंध में “**आमतौर पर बिल की गई राशि**” या “**AGB**” का तात्पर्य ऐसी देखभाल को कवर करने वाले बीमा वाले किसी व्यक्ति के आमतौर पर बिल की गई राशि से है।

- “**समुदाय**” का तात्पर्य सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकता आंकलन (Community Health Needs Assessment) में निर्धारित भौगोलिक सेवा क्षेत्र में रहने वाले मरीज़ों से है, इसमें निम्न शामिल है:

Ascension Mid-Michigan Community Service Area by County			
Alcona	Gladwin	Midland	Shiawassee
Arenac	Gratiot	Oakland	Tuscola
Bay	Iosco	Ogemaw	
Genesee	Lapeer	Saginaw	

- मरीज़ को तब भी संगठन के समुदाय का सदस्य माना जाएगा, यदि मरीज़ को उसके लिए जरुरी आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल Ascension के अन्य स्वास्थ्य परिसर में उसे प्राप्त होने वाली आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल की निरन्तरता में प्रदान की जा रही हो, जहाँ मरीज़ को इस प्रकार की आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल के लिए वित्तीय सहायता हेतु पात्र माना गया हो।
- “**आपातकालीन देखभाल**” का तात्पर्य *पर्याप्त गंभीरता (जिसमें गंभीर वेदना शामिल है) के तीव्र लक्षणों के रूप में प्रकट ऐसी चिकित्सीय स्थिति की देखभाल से है जिसका तुरंत इलाज ना किए जाने पर उस व्यक्ति के शरीर के कार्य को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है, उसके किसी भी शारीरिक अंग या भाग को गंभीर रूप से नुकसान हो सकता है, या उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है*]।
- “**चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल**” का तात्पर्य ऐसी देखभाल से है जो (1) मरीज़ की स्थिति के उपयुक्त और उसके सुसंगत हो और उसकी रोकथाम, निदान, या इलाज के लिए आवश्यक हो; (2) मरीज़ की स्थिति के लिए सबसे उचित आपूर्ति या सेवा का स्तर जिससे सुरक्षित रूप से प्रदान किया जा सके; (3) जिससे प्राथमिक रूप से मरीज़, मरीज़ के परिवार, चिकित्सक या देखभालकर्ता की सुविधा के लिए प्रदान नहीं किया गया हो; और (4) जिससे मरीज़ को नुकसान का बजाय संभावित रूप से लाभ ही होता है। भविष्य की निर्धारित देखभाल को “चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल” नियत किए जाने के लिए उस देखभाल को और देखभाल के समय को संगठन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (या

पदनालमि व्यजति) द्वारा अनुमोदि ककया जाना चार्हए। चचककत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल का तनधायरण मरीज़ को चचककत्सीय देखभाल प्रदान करने वाले लाइसेंसधारी प्रदािा द्वारा और, संगठन के स्ववववेक के आधार पर, भिी करने वाले चचककत्सक द्वारा, ररफर करने वाले चचककत्सक द्वारा, और/या मुख्य चचककत्सा अचधकारी या समीक्षा करने वाले अन्य चचककजत्सक द्वारा (सुझाई जा रही देखभाल के प्रकार के अनुसार) ककया जाना चार्हए। यर्द उस देखभाल का तनवेदन इस नीति द्वारा शालमल ककए गए मरीज़ द्वारा ककया गया है, उसे ककसी समीक्षा करने वाले चचककत्सक द्वारा चचककत्सीय रूप से आवश्यक तनधारिि नहीं ककया गया है, िो उस तनधारण की पुजष्ट दाखखल करने वाले अथवा रेफर करने वाले चचककत्सक द्वारा की जानी आवश्यक है।

- "**सांगठन**" का िात्पयय Ascension Mid-Michigan की क्षेत्रीय पररसरों और प्रदािाओं से है
- "**मरीज़**" का िात्पयय ऐसे व्यजतियों से हैं जजन्हें संगठन में आपािकालीन और चचककत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल प्राप्ि हो रही हो और ऐसे व्यजतियों से है जो मरीज़ की देखभाल के ललए ववत्तीय रूप से जजम्मेदार हैं।

<u>प्रदत्त ववत्तीय सहायता</u>

इस खंड में वखणि ववत्तीय सहायिा समुदाय में रहने वाले मरीज़ों िक सीलमि है:

1. इस ववत्तीय सहायिा नीति के अन्य प्रावधानों के अधीन संघीय गरीबी स्िर आय ("FPL") के 250% से कम या इसके बराबर की आय वाले मरीज़ बीमाकिा द्वारा भुगिान, यर्द कोई हो, करने के बाद सेवाओं के स्वयं द्वारा भुगिान ककए जाने वाले बकाया शुल्क के ललए 100% चैररटी के पात्र होंगे, यर्द ऐसे मरीज़ को प्रकजल्पि स्कोररग (जजसका वणन नीचे पैराग्राफ 5 में ककया गया है) के अनुसार पात्र तनधारि ककया जाए या यर्द वह मरीज़ के पहले डडस्चाजय बबल के बाद 240वें र्दन या इससे पहले ववत्तीय सहायिा आवेदन ("आवेदन") जमा करिा है और उस आवेदन को संगठन द्वारा अनुमोदि ककया जािा है। यर्द मरीज़ उसके पहले डडस्चाजय बबल के 240वें र्दन के बाद आवेदन जमा करिा है, िो मरीज़ अचधकिम 100% ववत्तीय सहायिा के ललए पात्र रहेगा, लेककन िब इस श्रेणी में मरीज़ के ललए उपलब्ध ववत्तीय सहायिा की रालश मरीज़ द्वारा ककए गए ककसी भी भुगिान को समायोजजि करने के बाद मरीज़ की अदत्त बकाया रालश िक ही सीलमि रहेगी। ववत्तीय सहायिा की इस श्रेणी के ललए पात्र मरीज़ से गणना ककए गए AGB शुल्कों से ज्यादा शुल्क नहीं ललया जाएगा।

2. इस ववत्तीय सहायिा नीति के अन्य प्रावधानों के अधीन FPL के 250% से ज्यादा लेककन 400% से कम आय वाले मरीज़ को बीमाकिा द्वारा भुगिान, यर्द कोई हो, करने के बाद सेवाओं के स्वयं द्वारा भुगिान ककए जाने वाले बकाया शुल्क के ललए स्लाइडडग स्के ल छूट लमलगी, यर्द वह

मरीज़

के पहले डडस्चाजय बबल के बाद 240वें र्दन या इससे पहले आवेदन जमा करिा है और उस आवेदन को संगठन द्वारा अनुमोर्दि ककया जािा है। यर्द मरीज़ उसके पहले डडस्चाजय बबल के 240वें
र्दन के बाद आवेदन जमा करिा है, िो मरीज़ स्लाइडडग स्के ल छू ट की ववत्तीय सहायिा के ललए
पात्र रहेगा, लेककन िब इस श्रेणी में मरीज़ के ललए उपलब्ध ववत्तीय सहायिा की रालश मरीज़ द्वारा ककए गए ककसी भी भुगिान को समायोजजि करने के बाद मरीज़ की अदत्त बकाया रालश िक ही सीलमि रहेगी। ववत्तीय सहायिा की इस श्रेणी के ललए पात्र मरीज़ से गणना ककए गए AGB शुल्कों से ज्यादा शुल्क नहीं ललया जाएगा। स्लाइडडग स्के ल छू ट इस प्रकार है:

तनम्नसलखखत आय स्तरों वाले मरीज़:	***FAP छू ट%***
FPL के 251% से 275% िक	95%
FPL के 276% से 300% िक	85%
FPL के 301% से 350% िक	75%
FPL के 351% से 375% िक	70%
FPL के 376% से 400% िक	65%

3. इस ववत्तीय सहायिा नीति के अन्य प्रावधानों के अधीन FPL के 400% से ज्यादा आय वाला मरीज़, मरीज़ के कु ल चचककत्सीय कजय के आधार पर संगठन से प्राप्ि सेवाओं के ललए मरीज़ के शुल्कों में
"जीवका साधन जांच" के अंिगयि कु छ छू ट हेिु ववत्तीय सहायिा के ललए पात्र हो सकिा है। यर्द
मरीज़ का कु ल चचककत्सीय कजय बहुि ज्यादा हो, जजसमें आपाििकालीन और चचककत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल हेिु Ascension और अन्य ककसी भी स्वास्थ्य देखभाल प्रदािा का चचककत्सीय ऋण शालमल है, जो कक मरीज़ के पररवार की सकल आय के बराबर या उससे अचधक
हो, िो ऐसा मरीज़ जीववका साधन जांच के बाद ववत्तीय सहायिा के ललए पात्र होगा। रोगी के पहले डडस्चाजय बबल के बाद 240वें र्दन या इससे पहले आवेदन जमा करने और उस आवेदन को संगठन द्वारा अनुमोर्दि ककए जाने पर जीववका साधन जांच के बाद प्रदत्त ववत्तीय सहायिा का स्िर
उपरोक्ि पैराग्राफ 2 के अंिगयि FPL के 400% की आय वाले रोगी को प्रदत्त सहायिा के बराबर
होिा है। यर्द मरीज़ उसके पहले डडस्चाजय बबल के 240वें र्दन के बाद आवेदन जमा करिा है, िो मरीज़ जीववका साधन छू ट की ववत्तीय सहायिा के ललए पात्र रहेगा, लेककन िब इस श्रेणी में मरीज़ के ललए उपलब्ध ववत्तीय सहायिा की रालश मरीज़ द्वारा ककए गए ककसी

भी भुगतान को समायोजित करने के बाद मरीज़ की अदत्त बकाया राशि तक ही सीमित रहेगी। वित्तीय सहायता की इस श्रेणी के लिए पात्र मरीज़ से गणना किए गए AGB शुल्कों से ज्यादा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

4. ऐसा संभव है कक मरीज़ उपरोक्त पैराग्राफ 1 से लेकर 3 में वर्णित ववत्तीय सहायता के ललए पात्र ना हो, यर्द "संपवत्त जांच" में तनधायररि हो कक मरीज़ के पास भुगतान करने के ललए पयायप्ि संपवत्त है। संपवत्त जांच में FAP आवेदन में मापी गई संपवत्तयों की श्रेखणयों के आधार पर मरीज़ की भुगिान करने की क्षमिा का ववशेष रूप से आंकलन ककया जाता है। ऐसा मरीज़ जजसकी संपवत्तयां उसकी FPL रालश के 250% से ज्यादा हो, तो संभविः ववत्तीय सहायता के ललए पात्र ना रहे।

5. ववत्तीय सहायता के ललए पात्रता राजस्व चक्र के दौरान ककसी भी समय तनधायररि की जा सकिी है और उसमें 100% चैररटी देखभाल तनधायररि करने के ललए मरीज़ के पहले डडस्चाजय बबल के बाद पहले 240 र्दनों के भीिर पयायप्ि बकाया रालश वाले मरीज़ के ललए प्रकजलप्ि स्कोररग सजम्मललि हो सकिी है, भले ही मरीज़ ने ववत्तीय सहायता आवेदन ("FAP आवेदन") भरकर जमा ना ककया हो। यर्द मरीज़ को FAP आवेदन भरकर जमा ककए बबना ही केवल प्रकजलप्ि स्कोररग के आधार पर 100% चैररटी देखभाल प्रदान की गई हो, िो मरीज़ की ववत्तीय सहायिा की रालश की पात्रता मरीज़ द्वारा ककए गए ककसी भी भुगतान को समायोजजत करने के बाद मरीज़ के अदत्त बकाया रालश िक सीलमि रहेगी। प्रकजलप्ि स्कोररग के आधार पर पात्रता का तनधायरण केवल दखभाल के उन प्रसंगों पर ही लागू होता है जजसके ललए प्रकजलप्त स्कोररग की गई हो।

6. ऐसे मरीज़ के ललए, जो तनजश्चत बीमा प्लान में भाग लेते हैं, जो संगठन को "नेटवकय-से-बाहर" माना जाता है, संगठन ववत्तीय सहायिा को कम कर सकिा है अथवा इससे इन्कार कर सकिा है, जो मरीज़ की बीमा जानकारी और अन्य उपयुक्त तथ्य और पररजस्थतियों की समीक्षा के आधार पर मरीज़ को अन्य प्रकार से उपलब्ध होगी।

7. ववत्तीय सहायता के ललए पात्र मरीज़ों से <u>संभविः</u> $50 िक का नाममात्र का फ्लैट शुल्क ललया जाए (नीचे ववत्तीय सहायता सह-भुगतान तालिका देखें)

स्वास्थ्य देखभाल सेवा का प्रकार	***FAP सह-भुगतान***
इनपेशेंट या आपातिकालीन कक्ष देखभाल	*$50.00*
आउटपेशेंट सजरी/ इलाज	*$25.00*
आउटपेशेंट नदातनक सेवाएं	*$10.00*

8. मरीज़ अस्वीकरण की सूचना प्राप्त होने के चौदह (14) कैलेंडर दिनों के भीतर संगठन में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करके वित्तीय सहायता के लिए पात्रता के किसी भी अस्वीकरण के विरुद्ध अपील कर सकता है। अंतिम निर्धारण के लिए संगठन द्वारा सभी अपीलों की समीक्षा

की जाएगी। यर्द अंतिम तनणय ववत्तीय सहायिा के वपछले अस्वीकरण को स्वीकार करिा है, िो

मरीज़ को ललखखि सूचना भेजी जाएगी। मरीज़ों और पररवारों हेिु ववत्तीय सहायिा के ललए पात्रिा

के संबंध में संगठन के तनणय के ववरुद्ध अपील करने की प्रकक्रया इस प्रकार है:

a. अपील के ललए तनवेदन पत्र सभी FAP आंलशक अनुमोदन और पात्रिा अस्वीकरण सूचना पत्रों के साथ शालमल ककया जािा है।
b. FAP पात्रिा तनधायरण ववचार का तनवेदन करने वाले मरीज़ को अपील के ललए तनवेदन पर पन
   पत्र को भरकर पत्र के नीचे सूचीबद्ध पिे पर डाक द्वारा भेजना/पहुचाना होगा।
c. सभी अपीलो पर संगठन की ववत्तीय सहायिा अपील्स कमेटी ववचार करेगी, और कमेटी का
   तनणय अपील करने वाले मरीज़ या पररवार को ललखखि में भेजा जाएगा।

ववत्तीय सहायता के सलए योग्य न होने वाले मरीज़ों के सलए अन्य सहायता

मरीज़ जो ऊपर अनसार, ववत्तीय सहायिा के ललए योग्य नहीं हैं, वे संगठन द्वारा दी जाने वाली अन्य वखणि

ककस्म की सहायिा के ललए योग्य हो सकिे हैं। पूणयिा के ललए, सहायिा के इन अन्य प्रकारों को यहाँ सूचीबद्ध ककया गया है, हालाँकक ये आवश्यकिा-आधाररि नहीं हैं और ये 501(r) के अधीन नहीं हैं, लेककन इन्हें संगठन जजस समुदाय को सेवा प्रदान करिा है, उसकी सुववधा के ललए यहाँ शालमल ककया गया है।

1. अबीमाकृि मरीज़ जो ववत्तीय सहायिा के ललए योग्य नहीं हैं उन्हें उस संगठन के ललए अचधकिम भुगिान करने वाले के ललए प्रदान की जाने वाली छूट के आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। अचधकिम भुगिान करने वाले को क्षमिा या सकल राजस्व द्वारा मापी गई संगठन की आबादी का कम से कम 3% होना चाहिए। अगर कोई एक भुगिानकिाय मात्रा के इस न्यूनिम स्िर पर नहीं पहुंचिा, िो एक से अचधक भुगिानकिायओं के अनुबंधों का इस प्रकार औसि ललया जाना चाहिए कक भुगिान की अवचध जजससे औसि लेने के ललए उपयोग ककया जािा है वह उस वषय केललए संगठन के व्यापार की मात्रा का कम से कम 3% हो।
2. ववत्तीय सहायिा के ललए अयोग्य अबीमाकृि और बीमाकृि मरीज़ों को ित्काल भगिान पर छूट
   लमल सकिी है। ित्काल भुगिान पर छूट को ठीक वपछले पैराग्राफ अबीमाकृिों का
   में वखणि ललए छूट के अतिररति भी र्दया जा सकिा है।

ववत्तीय सहायता के सलए योग्य मरीज़ों के सलए प्रभार पर सीमाएं

ववत्तीय सहायता के ललए योग्य मरीज़ों से आपात जस्थति में और अन्य चचककत्सकीय तौर पर आवश्यक देखभाल और अन्य ककसी चचककत्सा देखभाल के ललए AGB से व्यक्तिगत रूप से ललए जाने शुल्क से अचधक सकल प्रभार नहीं ललया जाएगा। संगठन “लुक-बैक” ववचध का इस्तेमाल करके और संगठन को दावों का

भ ुग ि ान करने वाले Medicare सेवा-हे ि ु-शुल्क और सभी तनजी स्वास्थ्य बीमाक ि ाओं को शालमल करके एक या अचधक AGB की गणना 501(r) के अनुसार करिा है। AGB गणना का वववरण और प्रतिशि(प्रतिशिों) की एक म ुफ् ि प्रति संगठन की वेबसाइट से या अस्पिाल के तनम्न ववभागों या कायायलयों से संपकय करके
प्राप् ि की जा सकिी है: ग्राहक सेवा, ववत्तीय परामशदा ि ा, के लशयर, कवर ककए गए प्रद ा ि ा का कायायलय।

ववत्तीय सहायता और अन्य सहायता के सलए आवेदन करना

एक मरीज़ ववत्तीय सहाय ि ा के ललए प्रकजल् पि स्कोररग योग्य ि ा के माध्यम से या एक पूरा FAP आवेदन
जमा करने से ववत्तीय सहायिा के ललए आवेदन करने से योग्य ि ा प्राप् ि कर सकिे हैं। FAP आवेदन और
FAP आवेदन के तनदेश संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं या इन्हें अस्पिाल के तनम्न में से ककसी भी ववभाग या कायायलय से संपकय करके प्राप् ि ककया जा सकिा है: ग्राहक सेवा, ववत्तीय परामशदा ि ा, के लशयर, कवर ककए गए प्रद ा ि ा का कायायलय। संगठन में अबीमाकृ ि व्यजक ि को ववत्तीय परामशदा ि ाओं के साथ
Medicaid या अन्य सावजतनक सहाय ि ा कायक्रमों के ललए आवेदन करने के ललए काम करना होगा जजसक
ललए मरीज़ ववत्तीय सहाय ि ा हे ि ु संभावविि रूप से पात्र माना जा ि ा हो (प्रकजल् पि स्कोररग के माध्यम से पात्र
और अन ुम ोर् द ि तनधायररि होने के मामलों को छोड़कर)। मरीज़ को ववत्तीय सहाय ि ा देने से मना ककया जा
सकिा है यर्द मरीज़ FAP आवेदन में या प्रकजल् पि स्कोररग पात्र ि ा प्रकक्रया के संबंध में गल ि जानकारी
प्रदान करिा है, यर्द मरीज़ बीमा रालश सौंपने या प्रदान की गई देखभाल के ललए भ ुग ि ान करने हे ि ु बाध्य बीमा कं पनी से सीधे भ ुग ि ान प्राप् ि करने के अचधकार को नकारिा है, या यर्द मरीज़ Medicaid या अन्य सावजतनक सहाय ि ा कायक्रमों, जजसके ललए मरीज़ को ववत्तीय सहाय ि ा के ललए योग्य होने हे ि ु संभावविि
रूप से पात्र माना गया हो (प्रकजल् पि स्कोररग के माध्यम से पात्र और अन ुम ोर् द ि तनधायररि होने के मामलों
को छोड़कर), में आवेदन करने के ललए ववत्तीय परामशदा ि ाओं के साथ काम करने से मना कर दे ि ा है।
संगठन देखभाल के विमान मामले के ललए पात्र ि ा के संबंध में तनधायरण करिे समय ककसी भी पात्र ि ा तनधायरण तिचथ से छः माह से कम की अवचध से पहले पूणय ककए गए FAP आवेदन पर ववचार कर सकिा है। संगठन ककसी भी पात्र ि ा तनधायरण तिचथ से छः माह से ज्यादा की अवचध में

पूणय ककए गए FAP आवेदन पर ववचार नहीं करेगा।

<u>बिसलगा ं और वसूली</u>

भुगतान न करने की जस्थति में संगठन द्वारा की जाने वाली कायवाही को एक अलग बबललग और वसूली
नीति में बिाया गया है। बबललग और वसूली नीति की एक मुफ्ति प्रति संगठन की वेबसाइट पर या अस्पिाल
के तनम्न में से ककसी भी ववभाग या कायायलय से संपकय करके प्राप्ति की जा सकिी है: ग्राहक सेवा, ववत्तीय
परामशदािा, के लशयर, कवर ककए गए प्रदािा का कायायलय।

<u>व्याख्या</u>

ववशेष रूप से सूचित मामलों को छोड़कर सभी प्रयोज्य प्रकक्रयाओं के साथ यह नीति 501(r) के अनुसार अनुपालन हेतु अभीष्ट है और इसकी व्याख्या इस के अनुसार की जाएगी और यह नीति इसीके अनुसार लागू की जाएगी।